



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-06042026-271587  
CG-AS-E-06042026-271587

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1670]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2026/ चैत्र 13, 1948

No. 1670]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2026/ CHAITRA 13, 1948

रेल मंत्रालय  
(पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)  
अधिसूचना

मालीगांव, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1736(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के रूप में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है:

सारणी  
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	विशेष रेलवे परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	पूर्णिया जंक्शन-कसबा-कुडाची (रास्ते के किनारे) में KIR मंडल के PRNA-KUB सेक्शन के बीच किमी 31/1-2 पर एलसी संख्या KJ-18 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव (U 24-25)।	पूर्णिया/बिहार

2	JAG-KSY स्टेशनों के बीच किमी 51/4-5 पर स्थित एलसी संख्या KJ-33 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	पूर्णिया/बिहार
3	कटिहार – एलसी संख्या KM-2 एवं KK-1 के स्थान पर 2 लेन आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण, किलोमीटर 1/9-0 एवं 1/8-9 पर, स्टेशन KIR-DNQ एवं KIR-MYN के बीच।	कटिहार/बिहार
4	SI-JAU सेक्शन के अंतर्गत KIR-MFA स्टेशनों के बीच किमी 17/1-2 पर स्थित एलसी संख्या KM-10 पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण, जो KIR मंडल के अंतर्गत लोहारी गाँव को गरैला से जोड़ने हेतु किया जा रहा है।	कटिहार/बिहार
5	सालमारी-मुकुरिया में किमी 29/7-8 पर स्थित एलसी संख्या KM-16 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण, सालमारी (SRI) से मुकुरिया (MFA) स्टेशनों के बीच।	कटिहार/बिहार
6	बिहार के KIR मंडल में मुकुरिया (MFA) से आजमनगर (AZR) स्टेशन के बीच किमी 153/6-7 पर स्थित एलसी संख्या NC-63 के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव, जो पनिघट्टा से महेशलत्ता को जोड़ने वाली सड़क हेतु है।	कटिहार/बिहार
7	बिहार के KIR मंडल में टेल्टा (TETA) से सुधानी (SUD) स्टेशन के बीच किमी 124/2-3 पर स्थित एलसी संख्या SK-351 के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव, जो बलरामपुर से टेल्टा-बगडोब को जोड़ने वाली सड़क के लिए है।	कटिहार/बिहार
8	DLF-RWA स्टेशनों के बीच किमी 7/6-7 पर स्थित एलसी संख्या KJ-5 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	कटिहार/बिहार
9	TKGF-AUB स्टेशनों के बीच किमी 60/0-1 पर स्थित एलसी संख्या 262 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	किशनगंज/बिहार
10	TKG-AUB स्टेशनों के बीच किमी 66/8-9 पर स्थित एलसी संख्या 269 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	किशनगंज/बिहार
11	TKG-AUB स्टेशनों के बीच किमी 70/8-9 पर स्थित एलसी संख्या 274 के स्थान पर 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	किशनगंज/बिहार
12	(हटवार-किशनगंज) KIR मंडल के HWR-KNE सेक्शन में किमी 89/2-3 पर स्थित एलसी संख्या SK-318 के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का प्रस्ताव।	किशनगंज/बिहार

[फा. सं. GSU/MISC/2026/3]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Northeast Frontier Railway)****NOTIFICATION**

Maligaon, the 24th March, 2026

S.O. 1736(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table with effect from the date of publication of these notification in the Official Gazette.

**TABLE**  
**Special Railway Project**

Sl.No.	Name of the Special Railway Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Purnea Jn.-Kasba - Kudachi (way- side) Construction of 2- lane ROB in LC No. KJ-18 at Km 31/1-2 between PRNA-KUB of section in KIR Div. (U 24-25)	Purnea/Bihar
2	Proposal for construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. KJ-33, at Km 51/4-5 , between station JAG - KSY	Purnea/Bihar
3	Katihar-Construction of 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. KM-2 & KK-1, AT KM 1/9-0 & 1/8-9 BETWEEN STATION, KIR-DNQ & KIR-MYN	Katihar/Bihar
4	Construction of 2-lane ROB at LC No. KM-10 at Km-17/1-2 in between Station KIR-MFA of section SI-JAU, connection Lohari Village to Garaila of KIR div.	Katihar/Bihar
5	Salmari-Mukuria -CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. KM-16, AT KM 29/7-8, BETWEEN STATION SALMARI (SRI) TO (MFA).	Katihar/Bihar
6	Proposal for construction of ROB in lieu of LC No - NC-63 at Km 153/6-7, between station Mukuria (MFA) TO Azamnagar (AZR), connecting Road Panighatta to Maheshlatta in KIR Div. of Bihar.	Katihar/Bihar
7	Proposal for construction of ROB in lieu of LC No. - SK-351, at Km 124/2-3, between station Telta (TETA) TO Sudhani (SUD), connecting Road Balrampur to Telta, Bagdob in KIR Div. of Bihar	Katihar/Bihar
8	Proposal for construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. KJ-5, at Km 7/6-7 , between station DLF - RWA	Katihar/Bihar
9	Proposal for construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. 262, at Km 60/0-1 between station TKGF - AUB	Kishanganj/Bihar
10	Proposal for construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. 269, at Km 66/8-9 , between station TKG - AUB.	Kishanganj/Bihar
11	Proposal for construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. 274, at Km 70/8-9 , between station TKG - AUB.	Kishanganj/Bihar
12	(Hatwar-Kishanganj) Construction of ROB in lieu of LC No. SK-318, at Km 89/2-3 between station HWR-KNE of section in KIR Div.	Kishanganj/Bihar

[F. No. GSU/MISC/2026/3 ]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar ( L/A)

### अधिसूचना

मालीगांव, 24 मार्च, 2026

**का.आ. 1737 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) जिला के संबंध में बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के

लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

**सारणी**

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / पूर्णिया	पूर्णिया
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / कटिहार	कटिहार
3	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / किशनगंज	किशनगंज

[फा. सं. GSU/MISC/2026/3]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

**NOTIFICATION**

Maligaon, the 24h March, 2026

**S.O. 1737(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of in the State of Bihar relating to district Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

**TABLE**

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	District Land Acquisition Officer, Purnea	Purnea
2	District Land Acquisition Officer, Katihar	Katihar
3	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj

[F. No. GSU/MISC/2026/3 ]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar ( L/A)